



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
(A Central University established by Parliament by Act No. 3 of 1997)

नेक द्वारा 'A' ग्रेड प्राप्त Accredited with 'A' Grade by NAAC

कादर नवाज़ खान
कार्यकारी कुलसचिव
Kadar Nawaz Khan
Acting Registrar

दूरभाष/Phone : +91-7152-230902

फैक्स/Fax : + 91-7152-247602

क्रमांक : 003/2003/का.आ./02-137/2020

दिनांक : 02.07.2020

अधिसूचना

कार्यालयादेश क्रमांक 009/PVC-HPS/2020/50 दिनांक 16.04.2020 के माध्यम से पी-एच.डी. अध्यादेश क्रमांक 45/2017 एवं एम.फिल. अध्यादेश क्रमांक 56/2017 में आवश्यक संशोधन करने के लिये गठित समिति द्वारा किये गये संशोधनों को विद्या-परिषद की दिनांक 27.04.2020 को संपन्न 32वीं बैठक में स्वीकृति प्रदान की गई है।

विद्या-परिषद की दिनांक 27.04.2020 को संपन्न 32वीं बैठक में प्राप्त स्वीकृति के अनुसरण में पी-एच.डी. अध्यादेश क्रमांक 45/2017 एवं एम.फिल. अध्यादेश क्रमांक 56/2017 संशोधनों सहित विश्वविद्यालय में तत्काल प्रभाव से लागू किये जाते हैं।

इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

कादर नवाज़

(कुलसचिव) 02/07/2020

प्रतिलिपि (ईमेल द्वारा) :

1. कुलपति कार्यालय
2. प्रतिकुलपति कार्यालय (द्वय)
3. सहायक कुलसचिव, प्रवेश प्रकोष्ठ/परीक्षा विभाग
4. समस्त अधिष्ठाता/विभागाध्यक्ष/केंद्र निदेशक
5. विश्वविद्यालय वेबसाइट
6. संबंधित पत्रावली

पोस्ट- हिंदी विश्वविद्यालय, गांधी हिल्स, वर्धा-442001 (महाराष्ट्र), भारत

Post Hindi Vishwavidyalaya, Gandhi Hills, Wardha-442001 (Maharashtra), INDIA

ई-मेल/E-mail: registrar.mgahv@gmail.com, वेबसाइट/Website: www.hindivishwa.org